भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र – 400 021

दूरभाष. नंबर: 022 – 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; **वेबसाइट:** www.licindia.in

पहली वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की पहली वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 14:30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के तहत अपनाना।

2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी और 27 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।

3. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी(1) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1.50 रुपये के अंतिम लाभांश पर विचार करना और घोषित करना।

4. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन: 09573799) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, डॉ. रंजन शर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 अक्टूबर, 2021 से 28 अप्रैल, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अवधि और 29 अप्रैल, 2022 से 28 अप्रैल, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

5. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन: 09309031) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री विनोद कुमार वर्मा को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 अक्टूबर, 2021 से 28 अप्रैल, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अवधि और 29 अप्रैल, 2022 से 28 अप्रैल, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

6. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अनिल कुमार (डीआईएन: 09477565) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, प्रो. अनिल कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 20 जनवरी, 2022 से 19 जुलाई, 2022 तक 6 (छह) महीने की पहली अवधि और 20 जुलाई, 2022 से 19 जुलाई, 2026 तक 4(चार) साल की दूसरी अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

7. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन: 05264033) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्रीमति अंजुली चिब दुग्गल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

8. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गुरुमूर्ति महालिंगम (डीआईएन: 09660723) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री गुरुमूर्ति महालिंगम को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

9. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल (डीआईएन: 07653591) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री राज कमल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

10. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

    ''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री वी.एस. पार्थसारथी को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4 (चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

11. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एम.पी. विजय कुमार (डीआईएन: 05170323) की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री एम.पी. विजय कुमार को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4 (चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

12. एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन: 08075972) नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(जी) के साथ पठित धारा 4(4) के अनुसार, श्री संजीव नौटियाल को बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके अनुसरण में वह निगम की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद पर है और नियुक्ति के लिए पात्र है, 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक 4(चार) साल की पहली अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित किया गया है।''

13. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना और इस संबंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम निम्नलिखित सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करता है:''

क्रमांक	लेखा परीक्षक का नाम	सीएजी पैनल संख्या	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	*शेष कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी)
1	एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी	BO1440	मुंबई	105016W/ W-100015	01 वर्ष
2	आरजीएन प्राइस एंड कंपनी	MD0018	चेन्नई	002785S	01 वर्ष
3	बटलीबोई एंड पुरोहित	BO0004	मुंबई	101048W	02 वर्ष
4	एआर एंड कंपनी	CR3997	नई दिल्ली	002744C	02 वर्ष
5	टोडी तुलस्यान एंड कंपनी	ER0043	पटना	002180C	02 वर्ष
6	राममूर्ति (एन) एंड कंपनी	HY0008	हैदराबाद	002899S	03 वर्ष
7	रे एंड रे	CA0036	कोलकाता	301072E	03 वर्ष
8	चोकशी एंड चोकशी एलएलपी	BO0150	मुंबई	101872W/ W100045	03 वर्ष
9	बीसी जैन एंड कंपनी	CR0016	कानपुर	001099C	04 वर्ष
10	रमा के गुप्ता एंड कंपनी	CR0649	भोपाल	005005C	04 वर्ष

**नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि उस वर्ष के लिए एजीएम के समापन की तारीख तक होगी, जिसमें कार्यकल समाप्त हो रहा है।*

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 जीवन बीमा निगम सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 22 और कुछ समय के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक के लिए निगम के सांविधिक मंडल लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सहित) को समय-समय पर उन सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में या प्रासंगिक होने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

विशेष व्यवसाय:

14. श्री एम.आर. कुमार (डीआईएन: 03628755) की निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) के अनुसार, श्री एम.आर. कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि गई कि श्री एम.आर. कुमार, निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष का कार्यकाल 13 मार्च, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा अनुमोदित किया गया है।''

15. श्री सुचीन्द्र मिश्र (डीआईएन: 01873568), सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2022 के तहत, श्री सुचीन्द्र मिश्र को निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव के साथ और आगे के आदेश तक नियुक्ति की जाती है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा अनुमोदित किया गया है।''

16. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311) की नियुक्ति के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री राज कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की

अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2022 के तहत यह सूचित करते हुए कि गई कि निगम के प्रबंध निदेशक श्री राज कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।''

17. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति भारत सरकार की 20 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के तहत, श्री सिद्धार्थ मोहंती को 02 फरवरी, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी, 30.06.2023) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।''

18. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती मिनी आईप (डीआईएन: 07791184) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्रीमती मिनी आईप की नियुक्ति भारत सरकार की दिनांक 05 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के तहत श्रीमती मिनी आईप को 02 अगस्त, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.08.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।''

19. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री विष्णु चरण पटनायक (डीआईएन: 08384583) की नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के अनुसार, श्री बिष्णु चरण पटनायक की नियुक्ति,भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2021 के तहत, श्री बिष्णु चरण पटनायक को 01 अक्टूबर, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (यानी, 31.03.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।''

20. निगम के संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 23(4) के तहत, कानून के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और किसी भी संशोधन, संशोधन या पुनर्मूल्यांकन के प्रावधानों के अनुसार हल किया गया (लागू कानून) और भारतीय जीवन बीमा निगम की 'संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति', जैसा कि समय-समय पर लागू हो, सदस्यों की सहमति, निदेशक मंडल को दी जाती है। (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत अधिकृत समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा), में प्रवेश करने और/या अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों को करना और/या जारी रखना (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या लेनदेन एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा), इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं हैं। ऐसे सभी लेनदेन निगम के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹1,000 करोड़ या वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से ज्यादा, जो भी कम हो, या समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू होने वाली कोई अन्य भौतिकता सीमा, बशर्ते कि अनुबंध/व्यवस्था/ लेन-देन एक हाथ की दूरी के आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा:

क्र.स.	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन का प्रकार	लेन-देन का मुल्य (₹ करोड़ में)
1	एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड	एसोसिएट	क्रय	20,000
2	एलआईसी म्यूचुअल फंड लिमिटेड	एसोसिएट	प्रतिदान	20,000

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गई अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करना जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

बोर्ड के आदेश द्वारा
भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744

केंद्रीय कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
'योगक्षेम',
जीवन बीमा मार्ग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
दूरभाष. नंबर: 022 - 2202 2079
ईमेल: investors@licindia.com
वेबसाइट: www.licindia.in

नोट:

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र (''एमसीए सर्कुलर'') संख्या14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 03/2022 दिनांकित क्रमश: 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 जारी किए गए परिपत्र (सेबी सर्कुलर) एवं इसके साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमनों, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियमनों) के अनुसरण में निगम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) (इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप संदर्भित) के माध्यम से अपनी पहली एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है, अर्थात सदस्यो की शारीरक उपस्थिति के बिना।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के साथ पठित धारा 23ए के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण जो इस नोटिस के मद संख्या 3 से 19 के तहत निर्दिष्ट सामान्य और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।

3. **भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पढ़े गए एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक सदस्य को शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम स्थल, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।**

4. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत विवरण और निदेशकों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 के अनुसार पहली वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग को इस नोटिस के अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न किया गया है जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त हुई है

5. सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम मोड में बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई–वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लाइव कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस नोटिस की टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के तहत नियमों और विनियमों के साथ पठित और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1,000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश के कारण बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि।

7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सच्ची प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से snaco@snaco.net के साथ evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति ईमेल द्वारा भेजा जाए।

8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

9. वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। पहली एजीएम आयोजित करने की सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर अपलोड कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग से भी देखा जा सकता है। bseindia.com और www.nseindia.com । नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

    ए) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 30 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में ₹10 के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 होगी।

    बी) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश, एक बार पहली एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, सदस्यों को 26 अक्टूबर, 2022 तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभार्थियों को, जिनके सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में नाम शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कारोबार के घंटों की समाप्ति पर दिखाई देते हैं।

    सी) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर निगम कार्रवाई नहीं कर सकता है। अत: डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें और शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को कार्य समय की समाप्ति के बाद नहीं।

    डी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जमा करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) जनादेश को पंजीकृत करें जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात बैंक खाता संख्या) होगा। बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व–सत्यापित प्रति और (iii) निगम के आरटीए को रद्द किया गया चेक पत्ता, einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा।

    ई) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए निगम के रिकॉर्ड में दर्ज पते पर निगम किसी अन्य अनुमेय तरीके से (ऐसे सदस्यों को) लाभांश का भुगतान करेगा।

च) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें।

एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे पैन के साथ फॉर्म संख्या 15जी/15एच में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके कर निवास वाले देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं अर्थात कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है की घोषणा, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10F, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है

इसके लिए 15 जुलाई, 2022 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को या उससे पहले अपेक्षित जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकित या संयुक्त धारकों में किसी भी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करें, जैसा भी मामला हो। शायद।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन विवरण रजिस्ट्रार (आरटीए) को प्रस्तुत करे

12. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन के मामलों को छोड़कर; एक सूचीबद्ध इकाई के शेयरों को केवल डीमैट रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए, शेयरधारकों को अपने हित में शेयरों के हस्तांतरण में परेशानी से बचने और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिमों को खत्म करने के लिए अपनी शेयरधारिता को डीमैटरियलाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्य इस संबंध में रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं।

13. एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5ई के साथ पठित जीवन बीमा निगम के सामान्य विनियमनों, 2021 के विनियमन 9 के प्रावधानो, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

नोटिस जारी होने की तिथि तक, निगम ने भौतिक रूप में कोई शेयर जारी नहीं किया है।

14. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के तहत, अस्वामिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष ('आईईपीएफ') को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा न किए गए/अस्वामिक रहते हैं, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2022 तक आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए निगम के पास अस्वामिक या दावा न किए गए लाभांश की कोई राशि नहीं है।

15. **उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए में पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों की ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया:**

(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर आरटीए को लिखकर अपने ईमेल पते को einward.ris@kfintech.com पर पंजीकृत/अपडेट करें।

(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी) einward.ris@kfintech.com पर प्रदान करें। यदि आप एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि नीचे बिंदु संख्या 19 **चरण 1(ए)** में बताई गई लॉगिन विधि देखें। **यानी, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि हैं।**

(iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

16. एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग:

(i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा निगम मतदान की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग'(एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग)। इस उद्देश्य के लिए निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ii) मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले निगम के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह व्यक्ति एजीएम से पहले और दौरान रिमोट ई-वोटिंग की

सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या शेयरधारक जो भौतिक रूप में निगम की प्रतिभूतियों को धारण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(iii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस के प्रेषण के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं तथा कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करते हैं, वे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो नीचे बिंदु 19 में हैं।

(iv) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे (आईएसटी) पर शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2022 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के हिस्से के अनुपात में होंगे।

(v) सदस्यों को एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान का अधिकार होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, संकल्प बैठक की तिथि अर्थात 27 सितंबर, 2022 को पारित माना जाएगा।

(vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

17. सुश्री अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एन.एस. (सदस्यता संख्या एसीएस 61955) मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निगम के सदस्यों की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच के पूरा होने के बाद, निर्धारित समय के भीतर अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

18. सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम** तक पहुंच के लिए बिंदु 19 के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के **सामने सामान्य बैठक** में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए ''वीसी/ओएवीएम लिंक'' पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का EVEN (121401) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फायरफॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

(iii) सदस्यों को उनके नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अपने पंजीकृत ई-मेल पते से, पहली एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से licagm_2022@licindia.com पर दिनांक गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (1700 बजे) तक भेज सकते है। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा

(iv) सदस्य जो बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए licagm_2022@licindia.com पर गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (0930 बजे) से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (1700 बजे) के बीच एक अनुरोध भेजकर अपना पूर्व-पंजीकरण कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार संरक्षित रखता है।

(v) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से sanjeevy@nsdl.co.in/ 1800 1020 990 या 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं।

19. **सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:**

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को 0930 बजे शुरू होती है और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को 1700 बजे समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 सितंबर, 2022 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में कट-ऑफ तिथि, 20 सितंबर, 2022 को होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मत देने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जा सकते हैं। https://eservices.nsdl.com या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-सर्विसेज होम पेज पर ''लॉगिन'' के तहत ''बेनिफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीई ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई-मेल सेवा पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''एनएसडीएल स्पीड'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं । ई-वोटिंग पेज तक बिना किसी और प्रमाणीकरण के पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । उपयोगकर्ता Easi/Easiest पर लॉग-इन करने के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com यूआरएल का उपयोग करें तथा नई प्रणाली Myeasi पर क्लिक करें । 2. Easi/Easiest पर सफल लॉग-इन करने के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेन्यू का अवलोकन भी कर सकता है। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल की लिंक्स होंगी । अपना वोट देने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें । 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है । 4. विकल्पतः, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में उपलब्ध लिंक से डीमॅट एकाउंट क्रमांक तथा पैन क्रमांक प्रदान कर ई-वोटिंग पेज को सीधे एक्सेस कर सकता है । सिस्टम द्वारा पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी भेजकर तथा डीमॅट एकाउंट में दर्ज किए गए अनुसार ई-मेल भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित किया जाएगा । सफल प्रमाणन के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, अर्थात् एनएसडीएल के लिए लिंक्स प्रदान की जाएंगी, जहां ई-वोटिंग चल रहा है ।

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमॅट रूप में प्रतिभूतियां रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं	ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ अपने पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमॅट एकाउंट के लॉग-इन प्रत्यय प्रलेखों का उपयोग करते हुए भी लॉग-इन कर सकते हैं । लॉग-इन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं । ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग चिह्न देख सकेंगे । कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए अथवा आभासी बैठक जॉइन करने के लिए अथवा बैठक के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट को री-डाइरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: यूजर आईडी/पासवर्ड रिट्राइव्ह करने में असमर्थ रहे सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त उल्लिखित वेबसाईट पर उपलब्ध फरगेट यूजर आईडी तथा फरगेट पासवर्ड विकल्प का प्रयोग करें ।

डीमॅट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉग-इन संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता डेस्क

लॉन-इन प्रकार	सहायता डेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं ।
सीडीएसएल के साथ डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी तकनीकी कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं ।

बी) डीमॅट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों तथा फिजिकल मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा आभासी बैठक में सहभाग लेने हेतु लॉग-इन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाईट को कैसे लॉग-इन करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाईट पर जाएं । पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाईल पर निम्न यूआरएल को टाईप करते हुए वेब ब्राउज़र ओपन करें: https://www.evoting.nsdl.com/

2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने पर, 'शेयरहोल्डर/मेंबर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आयकॉन पर क्लिक करें ।

3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी । आपको अपने यूजर आईडी, अपने पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित अनुसार वेरिफिकेशन कोड को एन्टर करना होगा ।

विकल्पत: यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेस, अर्थात् IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, आप मौजूदा IDEAS लॉग-इन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स के प्रयोग पश्चात् आपके द्वारा एनएसडीएल ई-सर्विसेस में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप स्टेप 2, अर्थात् 'कास्ट योर वोट इलेक्ट्रॉनिकली' की ओर आगे बढ़ सकते हैं ।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को धारण करने का तरीका, अर्थात् डीमॅट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा फिजिकल	आपका यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए	8 कॅरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी उदाहरणार्थ: यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और क्लायन्ट आईडी 12****** है, तो आपका यूजर आईडी IN300***12*** है ।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए	16 डिजिट बेनिफिशियरी आईडी उदाहरणार्थ: यदि आपका बेनिफिशियरी आईडी 12********** है, तो आपका यूजर आईडी 12********** है ।
ग) फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखनेवाले सदस्यों के लिए	इवन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरणार्थ: यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन नंबर 101456 है, तो यूजर आईडी 101456001***

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण निम्न दिया गया है :

   क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा पासवर्ड के प्रयोग से लॉग-इन कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं ।

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको पूर्व में सूचित 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्राइव करना आवश्यक होगा । आपके द्वारा 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्राइव किए जाने के बाद, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' एन्टर करना आवश्यक होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड को बदलने के लिए बाध्य करेगी ।

   ग) आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्राइव करें ?

      (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमॅट एकाउंट में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है । एनएसडीएल द्वारा आपको भेजा गया ई-मेल अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें । ई-मेल को खोलें

और अॅटैचमेंट अर्थात्, a.pdf file को खोलें । पीडीएफ फाईल खोलें । एनएसडीएल एकाउंट के लिए .पीडीएफ फाईल को खोलने के लिए पासवर्ड आपका 8 डिजिट क्लायन्ट आईडी, सीडीएसएल एकाउंट के लिए क्लायन्ट आईडी के अंतिम 8 डिजिट अथवा फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो क्रमांक है । पीडीएफ फाईल में आपका 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' अंतर्विष्ट है ।

(ii) **यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए बनाए गए निम्न उल्लिखित चरणों का पालन करें,** जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं ।

6. यदि आप पासवर्ड को रिट्राइव करने में असमर्थ रहे हैं अथवा आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आप पासवर्ड भूल गए हैं:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन **'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड?'** (यदि आपने एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के साथ अपने डीमॅट एकाउंट में शेयर्स रखे हैं) पर क्लिक करें

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन **'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?'** (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर्स हैं) पर क्लिक करें

ग) यदि आप उक्त दोनों विकल्पों के द्वारा अभी भी पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने डीमॅट एकाउंट क्रमांक/फोलियो क्रमांक, अपने पैन, अपने नाम तथा आपके पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं ।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट देने के लिए ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं ।

7. पासवर्ड एन्टर करने के बाद, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए 'ॲग्री टू टर्म्स एण्ड कंडिशन्स' पर टिक करें ।

8. अब, आपको 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करना होगा ।

9. 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा ।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग जॉइन करें ।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर जनरल मीटिंग कैसे जॉइन करें ?

1. स्टेप 1 में सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के 'इवन' को देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर्स हैं और जिनकी वोटिंग साइकल और जनरल मीटिंग एक्टिव्ह स्टेटस में है ।

2. उस कंपनी के लिए 'इवन' सिलेक्ट करें, जिसे आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान तथा जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट देना चाहते हैं । आभासी मीटिंग जॉईन करने के लिए, आपको 'जॉईन जनरल मीटिंग' के अंतर्गत दी गई लिंक 'VC/OAVM' पर क्लिक करना होगा ।

3. अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाता है, आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।

4. आप जिसे वोट देने के इच्छुक हैं, उसे यथोचित विकल्पों, अर्थात् अनुमति अथवा असहमति, जॉचना/संशोधित द नंबर ऑफ शेयर्स को सिलेक्ट करते हुए वोट दें और 'सबमिट' पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'कन्फर्म' भी करें ।

5. कन्फर्म करने के उपरांत 'वोट कास्ट सक्सेसफुली' का संदेश प्रदर्शित होगा ।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर उपलब्ध प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने द्वारा दिए गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं ।

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के समान है ।

(ii) केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिनके द्वारा रेजोल्युशन्स पर अपने वोट रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं दिए गए हैं, और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के लिए पात्र होंगे ।

(iii) वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिए हैं, एजीएम में उपस्थित रहने के लिए पात्र होंगे । तथापि, वे एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(iv) ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबधित किसी शिकायत हेतु संपर्क करने-योग्य व्यक्ति का विवरण और रिमोट ई-वोटिंग हेतु उल्लिखित व्यक्ति का विवरण समान होगा ।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश:

(i) अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करने और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की कडी सलाह दी जाती है । सही पासवर्ड को की-इन करने के पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाईट का लॉग-इन डिसेबल हो जाएगा । ऐसी घटना में, आपको पासवर्ड को रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प Forgot User Details/Password? अथवा 'Physical User Reset Password?' पर जाना आवश्यक होगा ।

(ii) कोई भी प्रश्न होने पर, आप www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री क्रमांक: 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के सहायक प्रबन्धक श्री संजीव यादव को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी: sanjeevy@nsdl.co.in तथा/अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसार व्याख्यातमक विवरण:

मद क्र.3

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी के अनुसार, निगम के निदेशक मण्डल ने 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में ₹10/- प्रत्येक की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹1.50 के अंतिम लाभांश की अनुशंसा वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन की है । यह 15% के लाभांश भुगतान अनुपात में तब्दील हो जाता है। यह 30 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया था ।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस के मद क्र.3 के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव को अपनाएं ।

मद क्र.4

डॉ. रंजन शर्मा को 29 अक्टूबर 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने डॉ. रंजन शर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा डॉ. रंजन शर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल, 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए डॉ. रंजन शर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

डॉ. रंजन शर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं। । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में डॉ. रंजन शर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

डॉ. रंजन शर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 4 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि डॉ. रंजन शर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 5

श्री विनोद कुमार वर्मा को 29 अक्टूबर, 2021 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम , 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 28 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने श्री विनोद कुमार वर्मा को चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुशंसा की। एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, और निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा किए गए कौशल, पृष्ठभूमि, अनुभव, ज्ञान और योगदान पर विचार करते हुए और प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड द्वारा श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29 अप्रैल 2022 से प्रभावी लगातार चार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई । एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए(1) के संदर्भ में, बोर्ड के पास भी उस समय एजीएम का अधिकार था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पहली और दूसरी अवधि के लिए श्री विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति को पहली एजीएम में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

श्री विनोद कुमार वर्मा एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों, सेबी लिस्टिंग विनियमनों और आईआरडीएआई दिशानिर्देशों (लागू सीमा तक) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं । उन्होंने एलआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, उन्होंने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(5) के संदर्भ में निगम के निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों या प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना के रूप में कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होने की भी घोषणा की है।

सेबी सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 36 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के संदर्भ में श्री विनोद कुमार वर्मा का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री विनोद कुमार वर्मा और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, अन्य कोई भी निदेशक, निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से या अन्यथा मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने से संबंधित रुचि नहीं रखते हैं।

अत: सदस्यों से अनुरोध है कि श्री विनोद कुमार वर्मा को निगम के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 6

प्रो. अनिल कुमार को 20 जनवरी, 2022 से निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 4(2)(जी) व अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत छह महीने की पहली अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल 19 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ ।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5(1) में यह प्रावधान है कि पहले तीन स्वतंत्र निदेशक के अलावा बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं निगम के सभी स्वतंत्र निदेशक चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पात्र होगें। निगम के पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों का पहला कार्यकाल 1956 की धारा 4(2)(जी) के तहत छह महीने के लिए होगा।